कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 12 / 2024

परिवादी :– श्री दिलाराम रतूडी पुत्र स्व0 श्री हरि राम रतूड़ी, 524 / 3, भैरों मन्दिर, मौनवाला, गरूड़चट्टी, पीपलकोटी मार्ग नीलकंठ, पौड़ी गढ़वाल।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 23.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दिलाराम रतूड़ी पुत्र स्व0 श्री हरि राम रतूड़ी, 524 / 3, भैरों मन्दिर, मौनवाला, गरूड़चट्टी, पीपलकोटी मार्ग नीलकंठ, पौड़ी गढ़वाल द्वारा विद्युत संयोजन संख्या KT0K000028970 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत कनेक्शन की स्थापना के बाद से उनकी ओर से किसी भी विफलता के बिना लगातार बिलों का भुगतान किया जा रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा उनके परिसर पर लगे मीटर को दिनांक 24.03.2023 को हटाकर नया मीटर लगा दिया गया। इसके बाद विपक्षी विभाग ने उनके मीटर की जांच करने के बाद उक्त मीटर को धीमा पाया और दिनांक 13.12.2023 को पत्र के माध्यम से उनको रू0 110839.00 का बिल भुगतान करने को कहा गया। उनके मीटर का परीक्षण करते समय यूईआरसी, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2020 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। उनके परिसर पर मीटर परीक्षण करने में कानून का उल्लंघन किया गया था। उनके परिसर पर विपक्षी विभाग द्वारा कोई चैक मीटर नहीं लगाया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनका मीटर धीमी गति से चल रहा था या नहीं। विपक्षी विभाग ने तुरन्त मीटर हटा दिया एवं उनके परिसर पर लगे मीटर को बिना किसी परीक्षण के चैक मीटर स्थापित कर दिया गया और संहिता का सरासर उल्लंघन किया गया। इसके अलावा, उनके मीटर को हटाने का काम जानबूझकर किया गया था और उनके एक कर्मचारी से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ले लिये गये। इस प्रकार उनके साथ विपक्षी विभाग ने प्राकृतिक न्याय और विद्युत आपूर्ति संहिता में निर्धारित नियमों के खिलाफ काम किया। विद्युत विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपभोक्ता के मीटर को उपभोक्ता के सामने सावधानीपूर्वक सील करके, टेंपर प्रुफ किट बैग को भी सील बन्द कर दे, जबकि हटाये गये मीटर को कपड़े में लपेटा गया। विद्युत विभाग के लैब का एनएबीएल मान्यता प्राप्त होना एवं उसका प्रमाणपत्र प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु यहां ऐसा नहीं किया गया। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त न होने के कारण मीटर की टेस्टिंग अविश्वसनीय तरीके से की जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा, मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट, मीटर हटाये जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर उपभोक्ता को प्रेषित करनी चाहिये, परन्तु यहां तीन महिने बाद मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट उनको प्रेषित की गयी है, जोकि विभाग द्वारा उसके मीटर का परीक्षण करने की उदासीनता को दर्शाता है। अतः मंच से अनुरोध है कि स्लो मीटर जुर्माने को हटा दिया जाए।

क्रमशः......02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 303 दिनांकित 13.02.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि विद्युत परीक्षणशाला रूड़की के अनुसार टेस्ट बेंच द्वारा शिकायतकर्ता का मीटर 66.6 प्रतिशत धीमा पाया गया साथ ही सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण उपखण्ड, कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का मीटर 16.05.2021 से धीमा है इस आधार पर उपभोक्ता को स्लो मीटर के आधार पर निर्धारण बिल 16.05.2021 से 24.03.2023 तक रू0 110839.00 जारी किया गया है। साथ ही विपक्षी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में चैकिंग, रिपोर्ट सं0–29/20 के अनुरूप की गयी है, जोकि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विद्युत सप्लाई कोड 2020 के अनुरूप है। विद्युत चैकिंग के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के पुराने मीटर में आर तथा बी फेज में करंट शून्य दर्शा रहा था, जबकि उपभोक्ता के परिसर में आर फेज में 22 एम्पियर तथा वाई फेज में 10 एम्पियर करंट चल रहा था। मीटर के सदिग्ध होने की स्थिति में मीटर सील किया गया जोकि उचित था। उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में चैकिंग तथा मीटर सीलिंग की जा सकी थी। उतारा गया मीटर सफेद कपड़े में सुरक्षित रूप से सील किया गया और टैम्पर प्रूफ बनाने के लिए सील करने के पश्चात उस पर सील नं0–ETD04304, ETD04305, ETD04306, ETD04307 लगाई गई। ये सील टेस्ट बैन्च में मीटर टेस्ट करने हेतु ही खोली गयी। तत्पश्चात मीटर टेस्ट हुआ। मीटर सुरक्षित रूप से टेस्ट बैन्च में टेस्ट भी किया गया। मीटर टेस्ट लैब का टेस्ट बैन्च मीटर NABL accredit लैब द्वारा कैलिबरेट होने की स्थिति में ही मीटर टेस्ट करने की कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में उपभोक्ता को पूर्व में भी सूचना के अधिकार के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक–27.06.2023 को केन्द्रिय विद्युत परीक्षणशाला, देहरादून में परीक्षण हेतु उपभोक्ता के अनुपस्थित रहने पर दिनांक–07.08.2023 को विद्युत परीक्षण खण्ड, रूड़की में मीटर परीक्षण कराया जाना तय किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित परीक्षणशालाओं के टैस्ट मीटर जिनसे मीटर चैक होना था, कैलिबरेशन हेतु एनएबीएल लैब विजिट एवं सम्बन्धित परीक्षणशालाओं के अपने मीटर टैस्ट करने के व्यस्त शैड्यूल के कारण मीटर टैस्टिंग हेतु उपरोक्त परीक्षण तिथि नियत हुई। इसके अतिरिक्त विद्युत परीक्षण खण्ड, रूड़की स्थित परीक्षणशाला की थ्री फेज मीटर टैस्टिंग बैन्च भी सुचारू नहीं थी। मीटर संदिग्ध पाये जाने की स्थिति में मीटर सील कर एक महीने के अन्दर की टैस्ट किया जाना है, ऐसा कोई प्राविधान अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री प्रभांशु गैरोला को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रवि अरोड़ा उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन वर्तमान में 15 किलोवाट विद्युत भार पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–18663160 के निरीक्षण किए जाने पर पाया कि उक्त मीटर के आर तथा बी फेज में मीटरिंग करंट शून्य दर्शाया/पाया गया जबकि परिवादी द्वारा आर फेज पर 22 ऐम्पियर तथा वाई फेज पर 10 ऐम्पियर विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार परिवादी द्वारा आर तथा वाई फेज के माध्यम से की जा रही विद्युत खपत की मात्रा उक्त विद्युत मीटर पर दर्ज नहीं की जा रही थी। दिनांक 12.09.2023 को निरीक्षण के दौरान मीटर चेकिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मीटर से संबंधित आर तथा वाई फेज पर सीटी की सैकण्डरी वायर ओपन पायी गई। चैकिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मीटर 66.60 प्रतिशत धीमा पाया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टि से सही प्रतीत होता है। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर संख्या–18663160 को 66.60 प्रतिशत धीमा मानते हुए दिनांक 16.05.2021 से दिनांक 14.03.2023 तक की अवधि में उक्त मीटर द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया गया है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विनियम, 2020 में प्राविधानित बिंदु 5.1.3 (10) (बी) के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर को धीमा पाए जाने पर अधिकतम 12 माह की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष ही विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया जाना है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा लगभग 22 माह (दिनांक 16.05.2021 से दिनांक 24.03.2023 तक) की अवधि में परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के विरूद्ध मीटर के 66.6 प्रतिशत धीमा पाए जाने के सापेक्ष दिनांक 16.05.2021 से दिनांक 24.03.2023 तक की अवधि हेतु किए गए विद्युत निर्धारण की धनराशि रू0 110839.00 को निरस्त करते हुए उक्त मीटर पर दिनांक 24.03.2022 से 24.03.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष ही विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करते हुए विपक्षी विभाग द्वारा संशोधित विद्युत देय की धनराशि परिवादी के विरूद्ध आरोपित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के विरूद्ध मीटर के 66.6 प्रतिशत धीमा पाए जाने के सापेक्ष दिनांक 16.05.2021 से दिनांक 24.03.2023 तक की अवधि हेतु किए गए विद्युत निर्धारण की धनराशि रू0 110839.00 को निरस्त करते हुए उक्त मीटर पर दिनांक 24.03.2022 से 24.03.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष ही विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करते हुए संशोधित विद्युत देय की धनराशि परिवादी के विरूद्ध आरोपित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/04/2024 | 23/04/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 15 / 2024

परिवादी :– श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भरतराज, पूजा नमकीन के सामने शिव विहार, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 23.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भरतराज, पूजा नमकीन के सामने शिव विहार, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW70533120154 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनैक्शन बिल पिछले दो सालों से एनआर में आ रहा था जो उनके द्वारा ऑनलाईन द्वारा जमा किया गया था। परन्तु इस महीने उनका बिल विभाग द्वारा रू0 185725.00 का भेजा गया, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ हैं। बिजली विभाग द्वारा उनका कनेक्शन काट दिया है जिसमें कि उनकी कोई गलती नहीं है। विभाग द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। उनके द्वारा बिल की राशि में से रू0 100000.00 उधार लेकर बिल में जमा करा दिये गये हैं, बाकी जो बिल शेष है वह विभाग की गलती की वजह से है, जिसको जमा करने में वह असमर्थ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 111 दिनांकित 27.02.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन संख्या JW70533120154 के सापेक्ष पूर्व में उपभोक्ता का विद्युत बिल NR का आ रहा था। जिसका Adjustment पूर्व में ही उपभोक्ता को मिल चुका है। वर्तमान में उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया जा चुका है, जो कि सही है।

मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री कुलदीप को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी शिल्पी सैनी उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 05 किलोवाट भार में दिनांक 25.06.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक एनआर आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2024 को परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर दर्ज रीडिंग / विद्युत खपत के आधार पर 35501 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है जिसमें पूर्व में 11 चक्रों के लिए एनआर आधार पर निर्गत बिलों के सापेक्ष रू0 56820.30 का समायोजन दिया गया है।

क्रमशः......02

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 19.03.2022 को शून्य यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। इससे पूर्व दिनांक 15.05.2021 को एमयू आधार पर 853 यूनिट (26175–25327) का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 15.05.2021 से दिनांक 19.01.2024 तक, लगभग 32 माह की अवधि में कुल औसतन 1109 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 35501 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2019–20 (दिनांक 12.03.2019 से दिनांक 17.03.2020) में, लगभग 945 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 11343 यूनिट की विद्युत खपत की गई है तथा वर्ष 2020–21 (दिनांक 17.03.2020 से दिनांक 19.03.2021) में, लगभग 1063 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से कुल 12758 (26175–13417) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2024 को जारी विद्युत बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत 35501 (लगभग 1109 यूनिट प्रतिमाह) यूनिट को पूर्व के वर्षों में दर्ज की गई औसत विद्युत खपत की तुलना में सही प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2024 को जारी विद्युत बिल, परिवादी द्वारा खपत की गई वास्तविक विद्युत खपत मात्रा के आधार पर जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। परिवादी द्वारा देय विद्युत बिल का भुगतान किश्तों में किए जाने हेतु विपक्षी विभाग के कार्यालय में आवेदन किए जाने पर विपक्षी विभाग यह सुनिश्चित करे कि परिवादी को देय विद्युत बिल की धनराशि किश्तों में नियमानुसार जमा किए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते परिवादी का यह परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 23/04/2024	(सतीश उनियाल) 23/04/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 18 / 2024

परिवादी :– श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी स्व0 अमर सिंह, निवासी गली नं0 बी–10, सुभाष नगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 04.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी स्व0 अमर सिंह, निवासी गली नं0 बी–10, सुभाष नगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– JW40748037657 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन उनके स्व0 पति श्री अमर सिंह के नाम से है जिनका देहान्त 1997 में हो गया, जिसके पश्चात यह कनेक्शन गतिमान चला आ रहा है। वर्ष 2018 से पूर्व ही विद्युत मीटर सं0 U3214785 खराब होने पर शिकायत की गई, परन्तु विभाग द्वारा 10.08.2018 से आइडीएफ बिल प्रेषित किए जाते रहे। उनके द्वारा दिनांक 21.02.2023 को उपखण्ड अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2018 से मीटर सं0 U3214785 खराब होने पर भी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध गलत विद्युत यूनिट का बिल प्रेषित किया गया। विभाग द्वारा मीटर खराब होने की दशा में मनमाने ढंग से औसत यूनिट को 200 से बढ़ा कर 1100 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया था। दिनांक 12.03.2019 को उनके द्वारा रसीद संख्या 3552312031904030102 के माध्यम से, कुल बकाया रू0 42526 के सापेक्ष रू0 22000.00 जमा किए गए तथा शेष रकम रू0 20526.00 रह गई। उनके द्वारा बिल संशोधन के लिए दिनांक 21.02.2023 को विभाग में पत्र दिया गया तथा 21.02.2023 को पत्र मुख्य अभियंता को भी प्रेषित किया गया था। विभाग द्वारा अभी तक उनका बिल सही नहीं किया गया है। विद्युत वितरण संहिता के अधीन 6.0(बी) तथा 6.2(डी), मीटर खराब होने की दशा में पिछले 3 माह का औसत विद्युत यूनिट से उपभोक्ता को प्रेषित किया जाना निहित है। उनका मीटर वर्ष 2018 से खराब है तथा विद्युत औसत यूनिट, बिल सं0 M4562227 में 182 अंकित है। इस प्रकार वर्ष 2018 से 12.03.2023 तक लगभग 72 माह यानि कि 36 चक्र है, जिसकी कुल यूनिट 8736, दर रू0 5.80, कुल देय रकम रू0 50669 तथा 16.03.2022 में बकाया रू0 25000, जमा किया गया का समायोजन करने के उपरांत शेष देय रू0 50669 है। परन्तु विभाग उनसे गलत एवं विधि विरूद्ध विद्युत बिल रकम रू0 194050.00 वसूल करने को आमादा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके द्वारा उपभोग की हुई विद्युत यूनिट के आधार पर बिल को सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 137 दिनांक 11.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में

क्रमशः......02

मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन सं0— JW40748037657 के परिसर पर दिनांक 30.04.2015, 02.03.2016, 15.11.2018, 06.09.2019 एवं 04.02.2023 को मीटर बदले गये थे, जिसके उपरांत दिनांक 12.05.2022 को उपभोक्ता का बिल ठीक किया गया था। उपभोक्ता द्वारा 28.02.2017 को रू0 20000.00 एवं दिनांक 18.02.2022 को रू0 100000.00 की धनराशि के प्रेषित चैक, बाउंस हुआ है जिसके उपरांत उपभोक्ता द्वारा 16.03.2022 को केवल रू0 25000.00 की धनराशि ही जमा कराई गई है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री पंकज तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती शिल्पी सैनी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 10.10.1989 से उनके स्व0 पति श्री अमर सिंह के नाम पर गतिमान है। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2017 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके उपरांत दिनांक 17.12.2017 से दिनांक 18.08.2022 तक आरडीएफ / आईडीएफ / एमसी / एनए / एमयू / एनआर के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू328547 दिनांक 06.09.2019 को स्थापित किया जाना अंकित है जबकि उक्त मीटर संख्या (यू328547) दिनांक 30.10.2018 में जारी विद्युत बिल में दिखाया गया है, जो कि विरोधाभाषी है। परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 04.02.2023 को मीटर संख्या—यू920361 स्थापित किया गया है जो कि वर्तमान में गतिमान है। परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष निर्गत अनंतिम बिलों के सापेक्ष निर्धारित विद्युत की मात्रा (यूनिट) को असमान बताते हुए विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 137 दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से परिवादिनी को अनंतिम आधार पर जारी बिलों को समय—समय पर कार्यशील विद्युत मीटरों में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किए जाने का कथन किया गया है, जबकि समय—समय पर बदले गए दोषपूर्ण मीटरों की स्थापना तिथियों के विरोधाभाषी होने के चलते विपक्षी विभाग द्वारा किया गया विद्युत बिलों में किए गए संशोधन को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आलोक में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 17.12.2017 से 28.03.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 15.10.2017 से दिनांक 04.02.2023 तक की अवधि हेतु पूर्व में एमयू आधार पर दर्ज विद्युत औसत खपत के आधार पर तथा दिनांक 04.02.2023 के पश्चात प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू920361 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादिनी को दिनांक 17.12.2017 से 28.03.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 15.10.2017 से दिनांक 04.02.2023 तक की अवधि हेतु पूर्व में एमयू आधार पर दर्ज विद्युत औसत खपत के आधार पर तथा दिनांक 04.02.2023 के पश्चात प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू920361 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी यह भी सुनिश्चित करे कि परिवादिनी द्वारा आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने पर उक्त संयोजन परिवादिनी के नाम पर स्थानांतरित किय जाए। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 22 / 2024

परिवादी :– श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, ग्रा0 सीला मल्ला, पोस्ट सेन्धीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 10.04.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, ग्रा0 सीला मल्ला, पोस्ट सेन्धीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा संयोजन सं0 KT12141432253 के सन्दर्भ मे कथन किया गया है उनका बिजली का बिल पिछले छः माह से बहुत ज्यादा आ रहा है। इससंबंध में उनके द्वारा कई बार विभाग को शिकायत की गई लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (कोटद्वार), के अर्न्तगत उपसंस्थान, दुगड्डा, पौडी गढ़वाल में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री सर्वेश्वर प्रसाद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्रीमती नन्दिता अग्रवाल व उपखण्ड अधिकारी श्री रवि अरोड़ा के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी, श्री रवि अरोड़ा, ने परिवादिनी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही विभाग को स्पष्ट उत्तर मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 523 दिनांक 16.03.2024 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.02.2024 को इस उपखण्ड के अन्तर्गत 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, दुगड्डा में आयोजित किया गया। शिविर में परिवाद सं0 22 / 2024 परिवादी श्री सर्वेश्वर प्रसाद के संयोजन संख्या– KT12141432253 जो कि श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के नाम से ग्राम–सीला मल्ला, दुगड्डा में स्थित है, पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 634 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी का मीटर तथा चैक मीटर में 150 प्रतिशत का अंतर पाया गया है जिस आधार पर परिवादी का बिल संशोधित किया जा रहा है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 08.03.2019 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2024 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी द्वारा दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में दर्ज 359 यूनिट विद्युत खपत को पूर्व में जारी विद्युत बिलों की तुलना में अत्यधिक कहते हुए विवादित ठहराया गया है। परिवादिनी द्वारा गत 12 (दिनांक 08.09.2022 से दिनांक 14.09.2023) की अवधि में लगभग 47 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से कुल 560 (1815–1255) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। जबकि दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में लगभग दो माह की विद्युत खपत 359 यूनिट (179 यूनिट प्रति माह) दर्शायी गई है जो कि पूर्व में दर्ज औसत विद्युत खपत के सापेक्ष लगभग 664 प्रतिशत अधिक है।

मंच द्वारा विपक्षी विभाग को दिनांक 22.02.2024 को परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 15.03.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 29.03.2024 को उक्त चैक मीटर को फाइनल किया गया है। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के आधार पर परिवादिनी का मैन मीटर 150 प्रतिशत तेज पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त चैक मीटर रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार परिवादिनी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह चैक मीटर रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार परिवादिनी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/04/2024 10/04/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 29 / 2024

परिवादी :– मै0 विक्टोरा ऑटो प्रा0 लि0, प्लाट नं0–30, सेक्टर–11, आईआईई, पोस्ट–सिड़कुल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिड़कुल, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 04.04.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 विक्टोरा ऑटो प्रा0 लि0, प्लाट नं0–30, सेक्टर–11, आईआईई, पोस्ट–सिड़कुल, हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या HR0K000018582 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि माह नवम्बर 2023 का बिजली का बिल गलत था, क्योंकि सॉफ्टवेयर समस्या के कारण स्लॉट डबल हो गया था, जिसकी शिकायत अधिशासी अभियन्ता से की गयी और उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में गलती को सुधार दिया जायेगा। चूंकि उक्त बिल में कोई सुधार, समय पर नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पूरी धनराशि जमा कर दी, ताकि अगले आने वाले माह दिसम्बर 2023 के बिल में समायोजित किया जा सके। अधिशासी अभियन्ता कार्यालय द्वारा उनको समायोजन करने के बाद रू0 2205960.00 की राशि जमा करने के लिए कहा गया, जिसे उनके द्वारा जमा कर दिया गया। लेकिन जब उनको जनवरी 2024 का बिल मिला तो उसमें पाया कि रू0 27574.50 की धनराशि विलंब अधिभार शुल्क के रूप में आरोपित किया गया है जो कि अनुचित है। जिसके विषय में उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता को पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन अभी भी इस एलपीएस की धनराशि को समायोजित नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन पर आरोपित एलपीएस की धनराशि को आगामी बिल में समायोजित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 396 दिनांकित 12.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि उनके कार्यालय ज्ञाप सं0 335 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से उपभोक्ता की शिकायत का निस्तारण पूर्व में ही कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह संयोजन दिनांक 30.05.2012 से गतिमान है तथा वर्तमान में स्वीकृत विद्युत भार 1500 केवीए पर ऊर्जीकृत है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.12.2023 को जारी विद्युत बिल में गणना संबंधी त्रुटियों का संज्ञान लेते हुए परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग को एक पत्र संख्या–शून्य दिनांक 08.02.2021 प्रेषित किया

क्रमशः......02

गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के उक्त पत्र पर कार्यवाही न किए जाने के उपरांत परिवादी द्वारा पत्रांक दिनांक 16.02.2024, दिनांक 19.02.2024 तथा दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से विपक्षी विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त अनुस्मारक पत्रों के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के उपरांत परिवादी द्वारा प्रश्नगत समस्या के समाधान हेतु मंच के समक्ष दिनांक 27.02.2024 को यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है जिसे मंच द्वारा वाद संख्या 29/2024 दिनांक 28.02.2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 396 दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत समस्या का समाधान, कार्यालय ज्ञाप सं0 335 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा साक्ष्य के तौर पर लेजर की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक प्रति मंच द्वारा परिवादी को प्रेषित की गई है तथा परिवादी को उक्त के संदर्भ में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 27.03.2024 तक का समय प्रदान किया गया है। सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 27.03.2024 को परिवादी अनुपस्थित है तथा विपक्षी विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ओम सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किए जाने के परिणामस्वरूप आरोपित विलंब अधिभार शुल्क रू0 27574.50, विद्युत बिल से हटाते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलसवरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल) 04/04/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail-- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 31/2024

परिवादी :– श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरजीत सिंह, कोठी न0 165, नियर सरदार सिंह फार्म हाऊस ग्राम–खेडली, पोस्ट–बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 04.04.2024**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरजीत सिंह, कोठी न0 165, नियर सरदार सिंह फार्म हाऊस ग्राम–खेडली, पोस्ट–बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW71248155484 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 01.12.2020 को एक सोलर संयोजन स्थापित किया गया था। उक्त सोलर मीटर स्थापित करने के पश्चात काफी दिनों तक उनके संयोजन का बिल निर्गत नहीं किया गया व जो बिल बने थे वह सोलर मीटरिंग के आधार पर नहीं बने थे। जिस कारण वह आज तक विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वर्तमान में जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह सरासर गलत हैं। विभाग ने उक्त बिलों में माननीय विद्युत नियामक आयोग के सभी नियमों का उल्लघंन किया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त बिलों को दिनांक 01.12.2020 से आज तक सोलर मीटर की रीडिंग के आधार पर बना दिए जाने एवं विभाग को सही बिल बनने तक उनका संयोजन विच्छेदित न करने हेतु निर्देशित कर दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 176 दिनांकित 07.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि उक्त उपभोक्ता का सोलर का विद्युत बिल बन चुका है। दिनांक 20.01.2024 को उक्त कनेक्शन पर सोलर के मीटर की संख्या अपडेट हुई, तत्पश्चात उपरोक्त का सोलर का बिल बना। माह 10/2023 में उक्त संयोजन में गलत रीडिंग चढ़ गई थी, जिसे माह 02/2023 की एमआरआई रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया।

मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री आलोक चौहान को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 08.06.2017 से गतिमान है और वर्तमान में स्वीकृत भार 6.00 किलोवाट पर ऊर्जीकृत है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.11.2020 तक परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 09.12.2020 को किया गया है।

क्रमशः......02

तद्पश्चात 11 माह के उपरांत दिनांक 18.10.2021 को रू0 6037.00 की धनराशि का बिल जारी किया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 05.11.2021 को किया गया है। इसी मध्य दिनांक 01.12.2020 को परिवादी के परिसर पर सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना की गई है। परिवादी के अनुसार दिनांक 01.12.2020 को सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित किए जाने के पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा उक्त सोलर प्लांट के माध्यम से उत्पादित विद्युत का संज्ञान नहीं लिया गया है जिस कारण परिवादी को उचित लाभ नहीं मिला है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने पत्रांक 176 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.01.2024 को परिवादी के संयोजन पर स्थापित सोलर मीटर का अपडेशन किया गया है तद्पश्चात परिवादी को नियमानुसार निर्मित बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 10/2023 में उक्त संयोजन पर गलत रीडिंग अंकित कर दी गई थी जिसे फरवरी 2024 में एमआरआई द्वारा अंकित रीडिंग के अनुसार संशोधित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 01.12.2020 को सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित होने के पश्चात लगभग 38 माह के बाद दिनांक 20.01.2024 को परिवादी के संयोजन पर सोलर मीटर संख्या अपडेट की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.12.2020 से दिनांक 21.02.2024 (एमआरआई रिपोर्ट तिथि) तक लगभग 39 माह में परिवादी के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर पर दर्ज इंपोर्ट/एक्सपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी के संयोजन पर सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित होने की तिथि 01.12.2020 से दिनांक 21.02.2024 तक की अवधि में इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट की गई विद्युत की मात्रा को उक्त अवधि में समान रूप से मासिक औसत आधार पर बांटते हुए तद्समय प्रचलित टेरिफ के आधार पर तथा परिवादी द्वारा इस अवधि में जमा की गई धनराशि का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के संयोजन पर सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित होने की तिथि 01.12.2020 से दिनांक 21.02.2024 तक की अवधि में इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट की गई विद्युत की मात्रा को उक्त अवधि में समान रूप से मासिक औसत आधार पर बांटते हुए तद्समय प्रचलित टेरिफ के आधार पर तथा परिवादी द्वारा इस अवधि में जमा की गई धनराशि का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	04/04/2024	04/04/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 32 / 2024

परिवादी :– श्री अब्बास अली पुत्र श्री गुलाम साबिर, ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूडकी।

कोरम आदेश दिनांक 23.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

शिकायतपत्र (कागज सं0–1) में परिवादी श्री अब्बास अली पुत्र श्री गुलाम साबिर, ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD2L322060036 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि माह जनवरी 2021 में मीटर को बदला गया था। जब से उसको माह दिसम्बर 2023 तक लगातार आरडीएफ के बिल दिये जा रहे है। जिस कारण उसको विभाग के चक्कर लगाने पड रहे है। लेकिन उसके बिलो को ठीक नही किया जा रहा है। अतः उसने मंच से बिलो को रीडिंग के अनुसार बनवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के जवाब कागज सं0–7 में अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1298 दिनांकित 06.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त विद्युत संयोजन एक घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 22.04.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त के संदर्भ मे क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अवगत कराया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 14907011 की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0(–)13,513.00 धनराशि है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब मे मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का बिल संशोधित कर सही कर दिया गया है तथा वर्तमान मे बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत रु0–13513.00 धनराशि है अर्थात परिवादी के विपक्षी विभाग की ओर रुपये 13513.00 निकलते है जो कि विपक्षी परिवादी के आगामी बिलो मे समायोजित करेगा। तदोनुसार परिवादी के परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः......02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी के विपक्षी विभाग की ओर बकाया रुपये 13,513.00 को 'विपक्षी' परिवादी के आगामी बिलो की धनराशि में समायोजित करे। तदोनुसार परिवादी के परिवाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/04/2024 23/04/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 33 / 2024

परिवादी :– श्री मौ0 अफजाल पुत्र श्री अब्बास अली, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूडकी।

कोरम आदेश दिनांक 23.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

शिकायतपत्र कागज सं0–1 में परिवादी श्री मौ0 अफजाल पुत्र श्री अब्बास अली, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD2L322376932 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि माह सितम्बर 2023 को रीडिंग 947 तक का बिल बकाया रू0 3,816.00 था। इसके बाद उसको अक्टूबर 2023 को अचानक से मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग 9070 भरकर 21,883.00 रू0 का बिल दिया गया जिसे लेकर वह लण्ढौरा कार्यालय में ठीक कराने गया लेकिन उसका बिल आज तक भी ठीक नहीं किया गया। उसने बिल ठीक कराने के लिए कम से कम दस चक्कर विभाग के लगा चुका है। उसको आरडीएफ के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं। अतः उसने मंच से बिलों को रीडिंग के अनुसार बनवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के जवाब कागज सं0–6 में अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1299 दिनांकित 07.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त विद्युत संयोजन एक घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 12.04.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त के संदर्भ में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अवगत कराया कि रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 5,425.00 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

सुनवाई के समय मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का बिल संशोधित कर सही कर दिया गया है तथा वर्तमान में बीजक सशोधित किये जाने के उपरांत रु0 5,425.00 धनराशि परिवादी की बकाया है। जिसका उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परिवादी की ओर से उक्त पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई ओर न ही परिवादी मंच के समक्ष उपस्थित आया है। उक्त स्थिति में परिवादी के परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः......02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी की ओर बकाया रुपये 5,425.00 को बकाया निकलते है जिनका भुगतान परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग को नियमानुसार किया जाना है। तदोनुसार परिवादी के प्रश्नगत परिवाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	23/04/2024	23/04/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 34 / 2024

परिवादी :– श्री तोहीद पुत्र श्री शकील, मोहल्ला सैनीपुरा मालियान, मंगलौर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 10.04.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री तोहीद पुत्र श्री शकील, मोहल्ला सैनीपुरा मालियान, मंगलौर, रूड़की द्वारा नया विद्युत संयोजन संख्या RD11721092238 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन 01 किलोवाट का एक घरेलू कनेक्शन है, जिसका बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। अक्टूबर 2023 में उनका मीटर खराब हो गया था जिसे IDF के आधार पर दिनांक 09.12.2023 को बदल दिया गया था, 17.12.2023 में दिया गया IDF का बिल रू. 4446.00 का भुगतान 27.12.2023 को कर दिया गया था परन्तु विभाग द्वारा जनवरी 2024 में अचानक से रू. 148704.00 का बिल भेजा गया जिससे उनको मानसिक आघात पहुंचा, क्योंकि एक माह का इतना अधिक बिल भेजा गया था। उपखण्ड कार्यालय से जब बिल के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि मीटर रीडर ने दिसम्बर 2023 में बदले गये मीटर की रीडिंग 18235 भर दी है। जिसके बाद कार्यालय में MRI कराकर बिल डिवीजन ऑफिस को भेजने की बात कही, जब 15 फरवरी 2024 तक भी बिल ठीक होकर प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने खण्ड कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र रिसीव कराया मगर विभाग की गलती एवं कार्यशैली में लापरवाही के चलते बिल ठीक नहीं किया गया, बल्कि विभाग के आदमी बार–बार कनेक्शन काटने के लिए बोल रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ठीक कराकर विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करा दी जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1452 दिनांकित 15.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD11721092238 घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि0वा0, दिनांक 22.08.2009 को निर्गत किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अवगत कराया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू985896 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 16713.21 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

विपक्षी के उक्त लिखित जवाब के क्रम में परिवादी ने दिनांक 28.03.2024 को मंच को अपने प्रति उत्तर में अवगत कराया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा संशोधित बिल सही नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री तोहीद को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में दिनांक 20.08.2009 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.09.2023 तक परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 31.10.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक, एनआर/आईडीएफ/एमसी/आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते हैं। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या-जी020628 को दिनांक 09.12.2023 को नये मीटर संख्या-यू985896 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा बिल संशोधन के पश्चात प्रस्तुत लेजर की छायाप्रति तथा बिलिंग हिस्ट्री में अंकित बिल धनराशि में अंतर है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 31.10.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.09.2023 से दिनांक 09.12.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के अनुसार तथा दिनांक 09.12.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर स्थापित नये मीटर संख्या-यू985896 की एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग/खपत के अनुसार विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 31.10.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.09.2023 से दिनांक 09.12.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के अनुसार तथा दिनांक 09.12.2023 से दिनांक 15.03.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर स्थापित नये मीटर संख्या-यू985896 की एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग/खपत के अनुसार विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 35 / 2024

परिवादी :– श्री सुनील कुमार गोस्वामी पुत्र स्व0 डा0 के0 एल0 गोस्वामी, कटहरा बाजार, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम — आदेश दिनांक 10.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुनील कुमार गोस्वामी पुत्र स्व0 डा0 के0 एल0 गोस्वामी, कटहरा बाजार, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– JW60521013233 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल अक्सर रू0 500 से लेकर 700–800 तक चला आ रहा है, फिर अगस्त 2023 में अचानक रू0 10612.00 आया, जिसे वह जमा कराने में असमर्थ हैं। मीटर रीडर ने भी कहा कि आपका मीटर जम्प मार गया है, जिसे आप 1912 पर काल करें। इसके बाद उन्होंने 1912 पर काल किया जिसका पंजीकरण नं0 221082316057 है। पुनः दोबारा किया गया जिसका पंजीकरण नं0 21110230308 है। दिनांक 11.10.2023 फिर 06.11.2023 को चैक मीटर के लिए आये हुए श्री आकाश ने डिस्पले न होने के कारण नया मीटर 325 रीडिंग पर लगा दिया गया। फिर जनवरी 2024 में विभागीय कर्मचारी ने रू. 11239.00 जमा करने के लिए बताया, जबकि पहले रू0 10612.00 थे अब 11239.00 हो गए। फिर वह एसडीओ और अधिशासी अभियन्ता से भी मिले, परन्तु कोई समाधान नहीं हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 1124 दिनांक 26.03.2024 के द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी श्री सुनील कुमार गोस्वामी को माह अगस्त 2023 का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर प्रेषित किया गया है जो कि सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री सुनील कुमार गोस्वामी तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री नीरज कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 03.12.1979 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2023 तक एमयू आधार पर जारी बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.08.2023 को 1393 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है जिसे परिवादी द्वारा पूर्व में दर्ज विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक बताते हुए विवादित ठहराया गया है। इसी क्रमें परिवादी द्वारा प्रश्नगत मीटर की जांच हेतु आवश्यक शुल्क रू0 118.00 का भुगतान दिनांक 11.10.2023 को किया

क्रमशः......02

किया गया है, परंतु परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—519685, नो—डिस्प्ले पाए जाने पर चैक मीटर स्थापित नहीं किया गया। परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त दोषपूर्ण मीटर को नये मीटर संख्या—यू871072 (मीटर रीडिंग—325) द्वारा दिनांक 06.11.2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा माह फरवरी 2023, मई 2023 तथा जुलाई 2023 में क्रमशः 45, 166 तथा 51 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज करते हुए लगभग 87 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार उक्त औसत विद्युत खपत की तुलना में दिनांक 20.08.2023 को जारी बिल में दर्ज विद्युत खपत—1393 यूनिट लगभग 1501 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 20.08.2023 से दिनांक 20.03.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.07.2023 से दिनांक 06.11.2023 तक की अवधि हेतु औसत मासिक विद्युत खपत-87 यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 20.03.2024 तक की अवधि हेतु, प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 06.11.2023 को स्थापित मीटर संख्या—यू871072 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 20.08.2023 से दिनांक 20.03.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.07.2023 से दिनांक 06.11.2023 तक की अवधि हेतु औसत मासिक विद्युत खपत 87 यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 20.03.2024 तक की अवधि हेतु, प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 06.11.2023 को स्थापित मीटर संख्या—यू871072 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	10/04/2024	10/04/2024
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 37 / 2024

परिवादी :– श्री इसरार पुत्र श्री माशुख, जामा मस्जिद के पास, भगतानपुर आदिपुर उर्फ इब्राहिमपुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 10.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इसरार पुत्र श्री माशुख, जामा मस्जिद के पास, भगतानपुर, आदिपुर उर्फ इब्राहिमपुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– JW11247124477 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने दिनांक 18.07.2020 को रू0 1155.00 जमा कर बिल फाइनल कर दिया था, परन्तु उसके बाद से उनका बिल अधिक आ रहा था। माह 08 / 2023 में रू0 3257.00 अचानक से बिल आ गया, जो कि गलत और बहुत ज्यादा है। उनका बिल पूर्व में 800–900 रूपये आता था, परन्तु अब बहुत ज्यादा आने लगा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 199 दिनांक 19.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त बिल को चैक किया गया है एवं इसकी गणना मैन्युअल आधार पर की गई।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 01.06.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.07.2020 तक एमयू आधार पर जारी बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। दिनांक 08.09.2020 से दिनांक 12.05.2021 तक एमयू आधार पर, दिनांक 26.07.2021 से दिनांक 17.07.2022 तंक, एनए / आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर दिनांक 06.12.2022 को दोषपूर्ण मीटर संख्या–40068813 को नये मीटर संख्या–10235995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तदोपरांत दिनांक 21.02.2024 तक नये मीटर संख्या–10235995 पर दर्ज विद्युत खपत के अनुसार परिवादी को बिल जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत होते हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 17.07.2020 के पश्चात किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा अधिकांश बिलिंग चक्र

क्रमशः......02

के लिए एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं तथा अनंतिम आधार पर निर्गत बिल, औसत विद्युत खपत के आधार पर जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत होते हैं। इस आधार पर परिवादी के विद्युत बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/04/2024 — 10/04/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 40 / 2024

परिवादी :– मै0 पुष्टि मेटल इंडस्ट्रीज, एलएलपी, प्लाट नं0 12, सेक्टर 3, आईआईई, सिडकुल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिडकुल, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 23.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 पुष्टि मेटल इंडस्ट्रीज, एलएलपी, प्लाट नं0 12, सेक्टर 3, आईआईई, सिडकुल, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– HROK000002558 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2024 को रू0 2837643.00 का बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा बिल की बढ़ी हुई धनराशि के संबंध में उन्हें कोई सूचना, पूर्व में नहीं दी गई, इस प्रकार विभाग द्वारा उक्त बिल के संबंध में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता तथा संवाद का न रखना स्वीकार नहीं है। कथन किया गया है कि वह अपने बिल की धनराशि को समय से भुगतान करते रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका प्रश्नगत बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 475 दिनांक 18.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा दिनांक 09.01.2023 को चैक मीटर, सीलिंग सं0 35 / 36 के माध्यम से स्थापित किया गया था। दिनांक 14.06.2023 को चैक मीटर फाईनल, सीलिंग सं0 39 / 07 के अनुसार उपभोक्ता का पुराना मीटर सं0 (11136127) 32.66 प्रतिशत धीमा चलता पाया गया, जिस आधार पर विगत माह की एमआरआई का विश्लेषण किए जाने पर पाया गया कि दिनांक 26.08.2022 से 14.06.2023 तक मीटर संख्या–11136127 के आर और बी फेज करंट की तुलना में वाई फेज में करंट शून्य दर्शायी जा रही है, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता का चैक मीटर निर्धारण रू0 1831002.92 किया गया है जिसे उपभोक्ता के माह फरवरी 2024 के विद्युत बिल में जोड़ा गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री श्याम प्रसाद तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में परिवादी का यह विद्युत संयोजन 480 केवीए विद्युत भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–11136127 की एमआरआई रिपोर्ट में परिलक्षित वाई फेज करंट–शून्य का संज्ञान लेते हुए दिनांक 09.05.2023 को परिवादी के उक्त संयोजन पर चैक मीटर संख्या क्यू 0482483 स्थापित किया गया तथा दिनांक 14.08.2023 को उक्त चैक मीटर को फाइनल किया गया है।

क्रमशः 02

चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–11136127, केडब्लूएच आधार पर 33.61 प्रतिशत तथा केवीएएच आधार पर 32.66 प्रतिशत धीमा पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त मीटर से संबंधित सीटी की सैकण्डरी वायर टूटी पाई गई, जिस कारण परिवादी के उक्त मीटर में वाई फेज के माध्यम से की गई विद्युत खपत को मीटर पर दर्ज किया जाना संभव नहीं था। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–11136127 को केवीएएच आधार पर 32.66 प्रतिशत धीमा मानते हुए, दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया गया है। इसी क्रम में मंच द्वारा प्रश्नगत मीटर संख्या–11136127 की दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक की अवधि की विस्तृत एमआरआई रिपोर्ट (लोड सर्वे रिपोर्ट) प्रस्तुत किए जाने के आदेश विपक्षी विभाग को दिए गए क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई सर्वे लोड रिपोर्ट, दिनांक 06.08.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक की अवधि के सापेक्ष नहीं है। मंच के उक्त आदेश पर विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर की विस्तृत लोड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लोड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–11136127 के वाई फेज की मीटरिंग करंट दिनांक 04.10.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक शून्य रही है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 04.10.2022 तक दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष किया गया विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या–11136127 के केवीएएच आधार पर 32.66 प्रतिशत धीमा मानते हुए दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 14.06.2023 के स्थान पर दिनांक 04.10.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करते हुए माह फरवरी 2024 को जारी विद्युत बिल को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या–11136127 के केवीएएच आधार पर 32.66 प्रतिशत धीमा मानते हुए दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 14.06.2023 के स्थान पर दिनांक 04.10.2022 से दिनांक 14.06.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करते हुए माह फरवरी 2024 को जारी विद्युत बिल को संशोधित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/04/2024   23/04/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय/OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 41/2024

परिवादी :– श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम–सिधड्डू, पोस्ट–लक्सर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 10.04.2024**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम–सिधड्डू, पोस्ट–लक्सर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK909L1021967 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन निजी नलकूप का है, जिसका बिल रू. 35387.00 बहुत अधिक आ गया है। वर्ष 2019 में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिल शून्य करके उनके नाम पर स्थानांतरण कर दिया था। विद्युत विभाग को मीटर खराब होने की सूचना 04.03.2020 के प्रार्थना पत्र द्वारा दी गयी थी, दोबारा 05.04.2021 को भी मीटर खराब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात भी विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विद्युत विभाग द्वारा जो बिल भेजे गए वह समय पर जमा किये गए। विद्युत विभाग द्वारा 31.05.2022 से 30.11.2022 तक का बिल रीडिंग 6393 का बिल 13744 एवं उसके साथ 2022 का एरियर व सरचार्ज 1565.00 के रूपये तथा नेट पेमेंट 36357.00 का बिल भेज दिया, जब विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए बिल समय पर जमा कराते रहे तब एक साथ रू. 36357.00 का बिल गलत भेजा गया। अत्यधिक वर्षा के कारण से सारी फसल नष्ट हो गयी जिससे किसान परिवार बहुत ही मानसिक परेशानी में है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही करा दिया जाए तथा उनके संयोजन की एमआरआई भी उपलब्ध करा दी जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 1187 दिनांकित 16.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के निजी नलकूप के विद्युत संयोजन की एमआरआई (रीडिंग) M/s Imon Com. के द्वारा की जा रही है एवं उक्त एमआरआई (रीडिंग) के आधार पर ही उक्त उपभोक्ता का विद्युत बिल निर्गत किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अरविन्द कुमार को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमीचंद उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 05 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 29.10.2001 से स्वीकृत है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2018 को प्रश्नगत संयोजन के

क्रमशः......02

सापेक्ष एक संशोधित बिल रू0 3499.00 की धनराशि का जारी किया गया है जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 08.01.2019 को किया गया है। परिवादी के संयोजन पर दिनांक 18.12.2018 को मीटर संख्या—18498002 स्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात दिनांक 14.12.2020 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 02.12.2022 को आईडीएफ आधार पर 648 यूनिट का अनंतिम बिल जारी किया गया है। तद्पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2023 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं, परंतु परिवादी को दिनांक 18.06.2022 से दिनांक 15.12.2023 तक एमयू आधार पर जारी बिलों में, उक्त आईडीएफ आधार पर 648 यूनिट का समायोजन नहीं दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार ही दिनांक 15.12.2023 को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के विद्युत बिल में 648 यूनिट का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने के साथ ही परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन से संबंधित एमआरआई रिपोर्ट मांगे जाने पर विपक्षी द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत बिल में 648 यूनिट का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बिल जारी करे। साथ ही परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन से संबंधित एमआरआई रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10/04/2024 10/04/2024

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	(सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 43 / 2024

परिवादी :– श्री मो0 आरिफ पुत्र स्व0 अलीशेर, गैण्डीखाता, गुज्जर बस्ती, पो0 गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 23.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मो0 आरिफ पुत्र स्व0 अलीशेर, गैण्डीखाता, गुज्जर बस्ती, पो0 गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– 6911337109901 के सन्दर्भ में कागज सं0–1 (मय संलग्नक कागज सं0–2 ता 5) मे कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उनके स्व0 पिताजी अलीशेर पुत्र श्री गुलाबो के नाम से लगा हुआ है, वर्तमान मे यह कनेक्शन उनके द्वारा उपयोग मे लिया जा रहा है। माह मई मे रू0 7,837.00 का बिल आया था जिसको किस्त करवाकर दिनांक 03.06.2023 को रू0 3,000.00 जमा कर दिया गया था, उसके उपरान्त उनका उनका बकाया रू0 4,837.00 रह गया था, जिसके बाद उनको कोई बिल नहीं दिया गया ओर मीटर रीडर ने बिल निकालने से मना कर दिया उसके द्वारा उनको बताया गया कि उनका मीटर खराब है। माह जनवरी मे उनका मीटर बदला गया ओर माह फरवरी मे मीटर रीडर जब बिल निकालने आया तो उसने रू0 26,256.00 का बिल निकाल दिया ओर उसी समय उनका कनेक्शन भी काट दिया गया। अतः प्रार्थी ने मंच से बिल को सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी जवाब कागज स0–7(मय संलग्नक कागज सं0 7 ता 15) मे विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 4143 दिनांक 20.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया कि वादी के परिसर पर दिनांक 27.01.2024 को मीटर पूर्व मीटर के स्थान पर नया मीटर सं0 10218936 बदला गया जिसकी मीटर रीडिंग की जांच से सत्यापित करते हुए वादी उपभोक्ता का बिल संशोधित किया गया है। जिसकी दिनांक 17.03.2024 तक संशोधित धनराशि रू0 10,062.00 है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री मो0 आरिफ तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती प्रियंका अग्रवाल सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुए।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब मे अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर नया मीटर लगा दिया गया है रीडिंग जॉच से सत्यापित करते हुए परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। जिसके अनुसार दिनांक 17.03.2024 तक धनराशि रुपये 10,062.00 है। उक्त पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति मंच के समस्त प्रस्तुत नही की गई है। अर्थात विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का विपक्षी विभाग द्वारा समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 23/4/2024	(सतीश उनियाल) 23/04/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 44 / 2024

परिवादी :– मै0 ऋषि केमिकल वर्क्स प्रा0 लि0, प्लाट नं0 एफ 5 से एफ 10, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 23.04.2024**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 ऋषि केमिकल वर्क्स प्रा0 लि0, प्लाट नं0 एफ 5 से एफ 10, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– 690K000001627 के सन्दर्भ में कथन किया गया है ,कि बिजली विभाग उनके एमएसएमई यूनिट के साथ विगत 21.03.2011 से अनियमित भुगतान राशि का बिल देता आ रहा है। अभी तक चैक मीटर के असेसमेंट के नाम पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार्ज करता आ रहा है:–

(A) चैक मीटर असेसमेंट नं0--483, EDD(U) Haridwar/CheckMeter Assessment/K.No. 1625 dt. 21.03.2011 for 4,24,739.00

(B) 1324, EDD(U) Haridwar/CheckMeter Assessment/K.No. 1627 dt. 29.08.2013 for 57,068.00

(C) 2690, EDD(U) Haridwar/CheckMeter Assessment/K.No. 1627 dt. 29.05.2017 for 38,686.00

(D) 3403, EDD(U) Haridwar/CheckMeter Assessment/K.No. 1627 dt. 14.02.2024 for 4,89,505.00, कुल राशि रू0 1012998.00 है।

उपरोक्त विषयांर्गत उन्होंने A से C तक की कुल राशि रू0 523493.00 का भुगतान कर दिया गया है एवं बाकी रू0 489505.00 का अभी 14.02.2024 को भुगतान करने का निर्देश बिजली विभाग कर रहा है। उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मंच से अनुरोध है कि प्रत्येक 2–3 वर्ष के अंतराल पर बिजली विभाग यह अनियमित कार्यवाही करता रहता है। वह विभाग के नियमित उपभोक्ता हैं, वह बिल का भुगतान विगत 50 वर्षों से नियमित समयानुसार करते आ रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4144 दिनांक 20.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 690K000001627, स्वीकृत भार 75 किलोवाट, आरटीएस-5 पर स्थापित मीटर सं0 19628554 पर अतिरिक्त मीटर सं0 5136837 दिनांक 04.11.2023 को स्थापित कर दिनांक 25.01.2024 को फाइनल किया गया। जिसके अनुसार पुराना मीटर सं0 19628554 को केडब्लूएच–35.99 प्रतिशत एवं केवीएएच–36.77 प्रतिशत धीमा पाया गया।

क्रमशः......02

अतः मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनिमय 2020 के CHAPTER-5 METERING & BILLING के CLAUSE 5.1.3 TESTING OF METERS की उपधारा (10) के अनुसार चैक मीटर के आधार पर लगभग एक (01) वर्ष का निर्धारण किया जाए। अतः उक्त आदेशों के अनुक्रम में अतिरिक्त मीटर स्थापन दिनांक 04.11.2023 से पूर्व के पिछले लगभग 1 वर्ष, दिनांक 01.11.2022 से धीमे चले का निर्धारण इस कार्यालय के पत्रांक 3403 दिनांक 14.02.2024, धनराशि रू0 489505.00 से प्रेषित किया गया था।

मंच के समक्ष परिवादी प्रतिष्ठान की ओर से श्री कविन्द्र नाथ सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अजय कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी प्रतिष्ठान का यह विद्युत संयोजन वर्तमान में 75 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–19628554 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार वाई–फेस की मीटरिंग वोल्टेज की अनुलब्धता का संज्ञान लेते हुए दिनांक 04.11.2023 को परिवादी संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया जिसे दिनांक 25.01.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–19628554, केडब्लूएच तथा केवीएएच आधार पर क्रमशः 35.99 तथा 36.77 प्रतिशत धीमा पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर को केवीएएच आधार पर 36.77 प्रतिशत धीमा मानते हुए, दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 25.01.2024 तक, लगभग 15 माह की अवधि में परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष रू0 489505.00 का विद्युत मूल्य निर्धारण किया गया है, जिसे परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा विवादित ठहराया गया है।

मंच द्वारा विपक्षी विभाग को प्रश्नगत मीटर की विस्तृत लोड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लोड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 25.01.2024 तक निम्नानुसार उल्लेखित अवधि में, वाई–फेज की मीटरिंग वोल्टेज अनुलब्ध / मिसिंग रही हैः–

क.सं.	माह / वर्ष	अवधि	टिप्पणी
1	नंवबर 2022	02.11.2022 से 23.11.2022	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
		24.11.2022 से 30.11.2022	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
2	दिसंबर 2022	01.12.2022 से 31.12.2022	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
3	जनवरी 2023	01.01.2023 से 31.01.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
4	फरवरी 2023	01.02.2023 से 28.02.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
5	मार्च 2023	01.03.2023 से 31.03.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
6	अप्रैल 2023	01.04.2023 से 30.04.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
7	मई 2023	01.05.2023 से 30.05.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– सामान्य
		31.05.2023 से 31.05.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
8	जून 2023	01.06.2023 से 30.06.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
9	जुलाई 2023	01.07.2023 से 31.07.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
10	अगस्त 2023	01.08.2023 से 31.08.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
11	सितंबर 2023	01.09.2023 से 30.09.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
12	अक्टूबर 2023	01.10.2023 से 31.10.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
13	नवंबर 2023	01.11.2023 से 30.11.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
14	दिसंबर 2023	01.12.2023 से 31.12.2023	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य
15	जनवरी 2024	01.01.2024 से 25.01.2024	वाई–फेज मीटरिंग वोल्टेज– शून्य

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मीटर संख्या—19628554 की वाई—फेज मीटरिंग वोल्टेज दिनांक 02.11.2022 से दिनांक 23.11.2022 तक तथा दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 25.01.2024 तक की अवधि में मिसिंग / अनुपलब्ध रही है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 25.01.2024 तक परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष किया गया विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण सही प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी अनंतिम पत्रांक / नोटिस संख्या—3403 दिनांक 14.02.2024 को निरस्त करते हुए, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19628554 के 36.77 (केवीएएच) प्रतिशत धीमा पाए जाने के विरूद्ध उक्त मीटर पर दिनांक 02.11.2022 से दिनांक 23.11.2022 तक तथा दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 25.01.2024 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष ही विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी अनंतिम पत्रांक / नोटिस संख्या—3403 दिनांक 14.02.2024 को निरस्त करते हुए, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19628554 के 36.77 (केवीएएच) प्रतिशत धीमा पाए जाने के विरूद्ध मीटर सं.—19628554 पर दिनांक 02.11.2022 से दिनांक 23.11.2022 तक तथा दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 25.01.2024 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष ही विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण करना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/04/2024 23/04/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 47 / 2024

परिवादी :– श्री सलेक चन्द पुत्र स्व0 कुरडी, ग्रा0 पीरपुरा, पो0 मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम — आदेश दिनांक 23.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सलेक चन्द पुत्र स्व0 कुरडी, ग्रा0 पीरपुरा, पो0 मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD2L322045587, मीटर सं0 696371 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनके द्वारा विद्युत मीटर के अनुसार देय बिल विभाग में जमा किया जाता रहा था, अचानक 2019 में उनको विभाग द्वारा उचित बिल उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसको उनके द्वारा विभाग में बिल सही करने के लिए कई बार सम्पर्क किया गया, लेकिन उनको सही बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। वह गलत बिल जमा करने में असमर्थ रहे, इस कारण उनका संयोजन 2019 में काट दिया गया। वह अपना देय बिल उचित जमा कराकर अपना विद्युत संयोजन पुनः चालू कराना चाहते हैं। उनके विद्युत संयोजन RD2L322045587 की बिलिंग हिस्ट्री की उचित जांच बाद सरचार्ज रहित देय बिल दिलाया जाना उचित होगा। उनके विद्युत मीटर सं0 696371 में वर्तमान उपयोग विद्युत यूनिट 9335 है। अतः मंच के अनुरोध है कि वर्तमान देय बिल में, सरचार्ज रहित, समायोजित कराते हुए उचित देय बिल उपलब्ध कराने एवं संयोजन को पुनः चालू करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1724 दिनांक 30.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD2L322045567 उपभोक्ता के नाम पर 1 किलोवाट 18.04.1991 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD2L322045567 के सम्बन्ध मे क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 1304 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L322045567 को बीजक धनराशि रू0 51171.00 बकाया होने पर दिनांक 27.02.2019 को बिल स्टोप कर स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कया गया था। जिस का संज्ञान लेते हुए खण्ड कार्यालय द्वारा पत्रांक सं0 5764 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विद्युत संयोजन सं0 RD2L322045567 को स्थायी विच्छेदित कर दिया गया है। स्थायी विच्छेदन के उपरान्त विद्युत संयोजन RD2L322045567 की धनराशि रू0 51760.00 बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना उपेक्षित है। विद्युत संयोजन सं0 RD2L322045567 पर अन्तिम बीजक भुगतान लगभग 12 वर्ष पूर्व दिनांक 28.09.20211 को रू0 624.00 किया गया था। उसके पश्चात वर्तमान तक कोई भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया है। विद्युत संयोजन RD2L322045567 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। जिस कारण उक्त

विद्युत संयोजन को पुनः सुचारू किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त विद्युत संयोजन का बकाया जमा किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार नया विद्युत संयोजन दिया जाना सम्भव होगा।

मंच के समक्ष परिवादी श्री सलेक चन्द तथा विपक्षी विभाग की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में दिनांक 18.04.1991 से दिनांक 20.02.2018 तक गतिमान रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.02.2018 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2018 को जारी बिल की धनराशि रू0 48171.00 का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप परिवादी के इस विद्युत संयोजन को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.02.2018 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 28.09.2011 के पश्चात किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को दिनांक 15.02.2019 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है तथा परिवादी को अंतिम विद्युत देय की धनराशि रू0 51760.00 को कार्यालय ज्ञाप सं0–5764 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच द्वारा परिवादी को कोई भी अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	23/04/2024	23/04/2024
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 49 / 2024

परिवादी :– श्री ब्रजवीर पुत्र श्री मुन्नू, मुण्डलाना, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम — आदेश दिनांक 23.04.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री ब्रजवीर पुत्र श्री मुन्नू, मुण्डलाना, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0–RD1F211155081 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन पर माह 10 / 2023 में रू0 1506.00 बिजली का बिल बकाया था। माह 11 / 2023 में उनको मीटर रीडर ने कोई बिल नहीं दिया और उनको फ़ोन पर रू0 17840.00 का बिल प्राप्त हुआ, यानि 17840–1506=16334 रूपये मात्र एक माह का अत्यधिक बिल प्राप्त हुआ है, जो बिलकुल गलत है। इसके बाद दिसम्बर 2023 को कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ फिर माह जनवरी 2024 में मीटर रीडर से पूछा कि मात्र तीन माह में उनका इतना अधिक बिल कैसे हो गया है। मीटर रीडर ने बताया कि माह 11 / 2023 में जो बिल बना है वह आफिस से बनाया गया है, जो गलत है। इसके बाद उनके द्वारा लण्ढौरा आफिस के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन उनका बिल ठीक नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1710 दिनांक 30.03.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD1F211155081, उपभोक्ता के नाम पर, 1 किलोवाट विद्युत भार पर 04.11.2015 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD1F211155081 के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 1302 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1F211155081 के बिजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD1F211155081 का बीजक संशोधित उपरान्त धनराशि रू0 3777.00 बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी को दूरभाष पर सुना गया तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में दिनांक 04.11.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 26.05.2022 तक आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 29.07.2022 से दिनांक 15.03.2024 तक

क्रमशः......02

एमसी / एनए / एनआर / एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में एक माह की विद्युत खपत 2381 यूनिट दर्शायी गई है जिसे पूर्व की तुलना में अत्यधिक बताते हुए परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थाापित मीटर संख्या—यू471069 को दिनांक 07.01.2022 को मीटर संख्या—15685705 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है परंतु नये मीटर का विवरण परिवादी के अभिलेखों में दिनांक 29.07.2022 को अंकित किया गया है। नये मीटर स्थापित किए जाने के उपरांत भी दिनांक 07.01.2022 से दिनांक 29.07.2022 तक की अवधि हेतु आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा लगभग 1525 यूनिट की अंतरिम बिल की धनराशि (विद्युत मूल्य आदि), परिवादी के बिल में अतिरिक्त चार्ज किया गया है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1710 दिनांक 30.03.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी को जारी विद्युत बिलों में रू0 16369.00 का समायोजन देते हुए रू0 3777.00 का संशोधित बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	23/04/2024	23/04/2024
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 50 / 2024

परिवादी :– श्री शरीफ पुत्र श्री कासिम, मौहल्ला–हजरत बिलाल, लण्ढौरा, पोस्ट–मंगलौर,रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 23.04.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शरीफ पुत्र श्री कासिम, मौहल्ला–हजरत बिलाल, लण्ढौरा, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD21508106150 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको माह 10 / 2023 में रू0 525.00 का बिल प्राप्त हुआ था, जिसे उसने दिनांक 27.10.2023 को जमा करा दिया था। माह 11 / 2023 को कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ तथा इसके बाद माह दिसम्बर 2023 में मात्र 2 माह का रू0 22254.00 का बिल, आरडीएफ के आधार पर प्राप्त हुआ। जिसे ठीक कराने के लिए लण्ढौरा कार्यालय गए जहां पर विभाग के कर्मचारी ने बिल सही करने की बात कह कर बिल लेकर रख लिया और दो चार दिन बाद पता करने के लिए कहा गया। उसके बाद उन्हें बताया गया कि आपका बिल ठीक करके आगे भेज दिया गया है जल्द ही ठीक होकर आ जायेगा। लेकिन आज तक भी बिल सही नहीं किया गया है। उनको लगातार आरडीएफ के बिल दिये जा रहे हैं। जबकि इससे पूर्व उनको सही बिल दिये जा रहे थे। अब मात्र 4 माह 11 / 2023 से 02 / 2024 तक उनका बिल आरडीएफ के आधार पर बहुत अधिक धनराशि रू0 34818.00 का बना दिया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। विभाग द्वारा उनको रीडिंग का बिल नहीं दिया जा रहा है। मीटर रीडर ने बताया उनका बिल कार्यालय से ही बनेगा। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको विभाग से सही बिल जारी करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1709 दिनांकित 30.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संयोजन सं0 RD21508106150 उपभोक्ता के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 03.05.2000 को निर्गत किया गया था। उक्त के संदर्भ मे क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक सं 1303 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं0 RD21508106150 पर स्थापित विद्युत मापक सं0 जी020830 की एम0आर0आई0 रिर्पोट के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 4674.00 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी को दूरभाष पर सुना गया तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक हैदर अली उपस्थित हुए।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 03.05.2000 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 16.11.2023 तक एमयू आधार पर, मीटर रीडिंग 11102 तक का विद्युत बिल जारी किया गया है। इसके बाद दिनांक 26.12.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक, आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं, जिन्हें परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या–020830 पर दिनांक 01.11.2023 को मीटर रीडिंग–8803 तथा दिनांक 01.12.2023 को रीडिंग 8849.8 दर्ज पाई गई है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2023 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग–11102 दर्शायी गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1709 दिनांक 30.03.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–020830 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर रू0 4674.00 का संशोधित विद्युत बिल जारी कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा उक्त संशोधित बिल की धनराशि पर अपनी संतुष्टि, मंच के समक्ष दूरभाष पर व्यक्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/04/2024 23/04/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>